

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2934] No. 2934] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 08, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 08, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

का.बा. 3720(बा).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उर्वरक (अकर्बानिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में खंड 8 के उपखंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
 - "4. किसी आवेदक को तब तक खुदरा व्यवहारी के लिए कोई प्राधिकार पत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक के पास किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केन्द्र या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एम ए एन ए जी ई) या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन आई डी पी आर) या भारत के उर्वरक एसोसिएशन या किसी अन्य अनुमोदित सरकारी संस्थान से पंद्रह दिन का सर्टिफिकेट कोर्स न होः

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या रसायन विज्ञान में बैचलर या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य ऐसे पाठ्यक्रम हो जिसमें राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उर्वरक या कृषि इनपुट एक विषय रहा हो, पृथक सर्टिफिकेट कोर्स पुरा करना अपेक्षित नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऐसे व्यवहारी जिन्हें उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2018 के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकार पत्र अनुदत्त किया गया है, उनके प्राधिकार पत्र के नवीकरण के समय अर्हता की अपेक्षा नहीं होगीः

4386 GI/2018 (1)

परन्तु यह भी कि उक्त अर्हता रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी सोसायटी या राज्य विपणन परिसंघों के प्राधिकार पत्र के नवीकरण के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होगी कि ऐसी सोसायटी या परिसंघ ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेंगे, जिसके पास इस खंड के अधीन अर्हता है।"

[फा.सं. 3-20/2015 उर्वरक विधि]

निरजा आदिदम, संयुक्त सचिव (आई एन एम)

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 785 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्यांक का. आ. 3265(अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 30th July, 2018

- **S.O. 3720(E).** In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-
 - 1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Fourth Amendment Order, 2018.
 - (2) It shall come into force on the date of its p ublication in the Official Gazette.
 - 2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, in clause 8, for sub-clause (4), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 - "4. No authorisation letter shall be granted to any applicant for retail dealership, unless the applicant possess the certificate course of fifteen days from any State Agriuchture University or Krishi Vigyan Kendras or National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) or National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIDPR) or Fetiliser Association of India or any other approved Government Institute:

Provided that a person in possession of Bachelor of Science in Agriculture or chemistry or Diploma in Agriculture Science from a recognised University or Institute or equivalent course having one of the subject on fertiliser or agri inputs, as notified by the State Government shall not be required to possess separate cetificate course:

Provided further that a dealer who has been granted authorisation letter before commencement of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Fourth Amendment Order, 2018 shall not be required to possess the qualification at the time of renewal of their authorisation letter:

Provided also that the said qualification shall not be applicable for renewal of the authorisation letter of the registered Agricultural Cooperative Societies and State Marketing Federations subject to condition that such Society or Federation shall engage a person who possesses the qualification under this clause."

[F.No. 3-20/2015 Fert. Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy. (INM)

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 758(E), dated the 25th September, 1985 and last amended *vide* number S.O. 3265(E), dated the 5th July, 2018.